

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/3835  
दिनांक : 03.10.2019

सेवा में,

सचिव,

द्रोणाचार्य पी0जी0 कालेज,  
दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 20.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N. Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1- Dr. Jiley Singh	Principal	M.A., M.Phil. Ph.D. (92)	Prof. Beer Singh CCS University, Meerut Dr. Kamal Veer (Retd.) MMH College, GZB Dr. Nand Kumar SSS College, Rasna

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ बी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे प्राचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित प्राचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/671  
दिनांक : 05.7.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,  
श्री दोगाचार्य पी०जी० कालेज,  
दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 02.06.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०ए० (हिन्दी) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Kokil	Asst. Prof. (Hin.)	M.A. Ph.D. (12)	Dr. Seema Singh A.K.P. Hapur Dr. Vandana Sharma M.M. College, Modinagar ----- do -----
2-	Dr. Shikha Rani	Asst. Prof. (Hin.)	M.A. Ph.D. (12)	

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०ए० (हिन्दी) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव



पत्रांक : सम्बद्धता / 4037  
दिनांक : 22.10.2019

सेवा में,  
सचिव,  
श्री द्रोणाचार्य पी0जी0 कालेज,  
दनकौर, गौतमबुद्धनगर।  
महोदय, 20320)

कृपया अपने पत्र दिनांक 17.08.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Mrs. Jyoti Gautam	Asst. Prof. (Phy.)	M.Sc. NET (17)	Dr. Rakesh Kr. Sharma L.R. College, Sahibabad Dr. Pawan Kumar A.S. College, Sikandrabad
2-	Mrs. Deepshikha	Asst. Prof. (Bot.)	M.Sc. NET (12)	Dr. Ramesh C. Arya Meerut College, Meerut Dr. A.K. Verma MMH College, GZB
3-	Smt. Priyanka	Asst. Prof. (H.Sci.)	M.Sc. NET (11)	Dr. Kalpana Sharma G.D.M. Modinagar Dr. Anjali Singh V.M.L.G. Ghaziabad
4-	Dr. Richa Shukla	Asst. Prof. (Pol. Sci.)	M.A. Ph.D. (09)	Dr. Virendra Pal N.A.S. College, Meerut Dr. Rachna Mittal S.D. College, MZN
5-	Shri Vipin Kumar	Asst. Prof. (Socio.)	M.A. NET (14)	Dr. Kamlesh Bhardwaj S.D. College, GZB Dr. Rachna Prasad VMLG Ghaziabad
6-	Dr. Rakesh Rai	Asst. Prof. (Eco.)	M.A. Ph.d. (09)	Dr. D.M. Bansal NREC College, Khurja Dr. Renu Singh Rana MMH College, GZB
7-	Smt. Rani	Asst. Prof. (Comm.)	M.Com. NET	Dr. V.K. Agarwal I.P. College, Bulandshahr Dr. A.P. Singh Meerut College, Meerut
8-	Dr. Arvind Kumar	Asst. Prof. (Comm.)	M.Com. Ph.D. (12)	----- do -----
9-	Miss. Akshra Sharma	Asst. Prof.	M.Com. NET (18)	----- do -----
10-	Dr. Ranjana Tripathi	Asst. Prof. (Hin.)	M.A. NET (12)	Dr. Seema Singh A.K.P. Hapur Dr. Vandana Sharma M.M. College, Modinagar
11-	Nidhiraj Bhadana	Asst. Prof.	M.A. NET (14)	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू0जी0सी0 / एन0सी0टी0ई0 / बी0सी0आई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र / निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनदेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सदस्य कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4447  
दिनांक : 04.12.2019

सेवा में,  
सचिव,  
श्री द्रोणाचार्य पी0जी0 कालेज,  
दनकौर गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 24.10.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0ए0 (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N. Name  
1-Satish Kumar

Design  
Asst. Prof.  
(Eng.)

Qualification  
M.A. NET (19)

Univ. Expert  
Dr. Suta Kumari  
MMH College, GZB  
Dr. Ajay Sharma  
M.M. College,  
Modinagar, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ बी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4446  
दिनांक : 04.12.2019

सेवा में,  
सचिव,  
श्री द्रोणाचार्य पी0जी0 कालेज,  
दनकौर गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 24.10.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0एस0सी0 (गणित) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N. Name  
1-Shivender Goswami

Design  
Asst. Prof.  
(Math)

Qualification  
M.Sc. NET (18)

Univ. Expert  
Dr. Prabha Rani  
MMH College, GZB  
Dr. Rajendra Singh  
M.B. College Dadri

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एस0सी0 (गणित) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू0जी0सी0 / एन0सी0टी0ई0 / बी0सी0आई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१११  
दिनांक : 23-5-2019

सेवा में  
सचिव,  
श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
दनकौर, गौतमबुद्धनगर।  
203201

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान संचालित बी०ए० एवं बी०एस०सी० पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/311 दिनांक 27.04.2018 द्वारा अनुमोदित सहा० आचार्य की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत् है-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1.	डॉ० देवाचन्द्र सिंह	सहा० आचार्य (हिन्दी)	एम०ए० नेट (10)	प्रो० एन०सी० लोहनी डॉ० चरण सिंह वि०वि०, मेरठ डॉ० प्रज्ञा पाठक एम०ए०एस० कालेज, मेरठ। डॉ० शिरोमणि शर्मा डी०एन० कालेज, मेरठ। डॉ० के०एल० आनन्द (सहा०) मेरठ।
2.	डॉ० हरिन गुप्ता	सहा० आचार्य (सायन)	एम०एस०सी०, पी०एच०डी (12)	प्रो० संजय भारद्वाज डॉ० चरण सिंह वि०वि०, मेरठ डॉ० बिन्दु शर्मा डी०एन० कालेज, मेरठ।
4.	डॉ० रूच त्रिपाठी	सहा० आचार्य (जन्तु)	एम०एस०सी०, पी०एच०डी (06)	

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०ए० एवं बी०एस०सी० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहा० आचार्य पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्षों के लिए अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सहा० आचार्य पद पर मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्य करेंगे, सहा० आचार्य के सम्बन्ध में भ्रष्टाचरणादि प्रविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान का होगा। चयनित अभ्यर्थी व उनके परिवार में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विद्यमान नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव